संख्या–141/XVIII(2)/2017/16(1)/पुनर्वास नीति/ 2007

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
   गढवाल/कुमाऊ मण्डल।

2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 09 नवम्बर, 2017

विषयः–राज्य के प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ग्रामों/परिवारों का अन्यत्र विस्थापन हेतु पुनर्वास नीति, 2011 में उल्लिखित भवन निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 3,00,000/–(रू0 तीन लाख) में वृद्वि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–2062/XVIII–2/2011–16(1)/2007 दिनांक 19 अगस्त, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा **राज्य के** प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ग्रामों/परिवारों का अन्यत्र विस्थापन हेतु पुनर्वास नीति, 2011 का निर्धारण किया गया है। उक्त नीति के बिन्दु संख्या–19 में विस्थापित किये जाने वाले प्रत्येक परिवार को जिसकाा आपदाग्रस्त क्षेत्र में स्वयं का भवन था, भवन निर्माण हेतु अधिकतम रू0 3,00,000/–(रू0 तीन लाख मात्र) की भवन निर्माण सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

2– इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **पुनर्वास नीति, 2011 के बिन्दु सं0–19 में उल्लिखित राज्य के प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ग्रामों से विस्थापित किये जाने वाले प्रत्यके परिवार को भवन निर्माण हेतु सहायता के रूप में उपलब्ध कराये जाने हेतु नियत अधिकतम रू0 3,00,000/– की राशि में वृद्वि करते हुए धनराशि रू0 4,00,000/–(रू0 चार लाख मात्र) किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।**

3– उक्त शासनादेश सं0–2062/XVIII–2/2011–16(1)/2007 दिनांक 19 अगस्त, 2011 को इस सीमा तंक संशोधित समझा जाय एवं शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत लागू रहेगी।

4– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–154 मतदेय/वित्त अनु0–5/2017 दिनांक 03 नवम्बर, .2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 141 XVIII(2)/2017/16(1)/पुनर्वास नीति/ 2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।